जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-14.07.2025

थाना कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 14.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अबरार पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला अलालान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

2\.

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सरकारी खाद्यान्न के कट्टो मे पानी डालकर वजन बढाने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 03 कट्टे गेंहु के बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.07.2025 को श्री संदीप मौर्या पूर्ति निरीक्षक विकास खण्ड ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा चौधरी ढाबा ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद पर ट्रक ड्राईवरो द्वारा सरकारी खाद्यान के कट्टो मे पानी डालकर वजन बढाने तथा खाद्यान की कुछ बोरियो को ट्रक से उतारकर रेहडा पर डालकर अंदर ले जाना जिसमे ढाबा मालिक कुशलपाल पुत्र भोपाल निवासी ग्राम याहियापुर थाना झिंझाना जनपद शामली की पूर्ण रुप से संलिप्तता पाने की घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 14.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त/वाछिंत अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चौधरी ढाबा ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली पर ट्रक ड्राईवरो के द्वारा सरकारी खाद्यान के कट्टो मे पानी डालकर वजन बढाने तथा खाद्यान की कुछ बोरियो को ट्रक से उतारकर रेहडा पर डालकर अंदर ले जाने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण को 03 प्लास्टिक के कट्टे गेहु से भरे हुए कुल वजन 97.560 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मोहित पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम आमवाली झिंझाना जनपद शामली

2.अकबर पुत्र महमूद निवासी ग्राम आमवाली थाना झिंझाना जनपद शामली

बरामदगी का विवरणः-

1.तीन प्लास्टिक के कट्टे गेहु से भरे हुए कुल वजन 97.560 किलोग्राम

कार्यालय
मालग्रह
HURL

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 03 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 6300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-*

1.-वर्ष 2014 में अभियुक्त देवीचन्द पुत्र बंगाली निवासी मौ0 रेत्ती कस्बा व थाना थानाभवन शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर 413/2014 धारा- 147,341, भादवि व 7 क्रिमि0 लॉ एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 14.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते 300- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 1999 में अभियुक्त जैन सिंह पुत्र रय्यत निवासी सिलावर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 70/1999 धारा-379,411 भादवि व 33 भारतीय वन संरक्षण अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 14.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 1998 में अभियुक्तगण महीपाल सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी ग्राम मुण्डभर थाना भौरांकला जिला मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 35/1998 धारा- 279,338,427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनाँक 14.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये माननीय न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI